शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/आई.सी.टी./2024-25/5266 **भोपाल दिनांक** 18.11.24

प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय: कक्षा 1 से 8 की शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की APAAR आई.डी. तैयार करने विषयक।

संदर्भ: 1) भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का पत्र F. No. 1-27/ 2023-DIGED-Part (1) नई दिल्ली, दिनांक 22-10-2024 (PUD)

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में लेख है कि "One Nation, One Student ID" के परिपालन में शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR) आई.डी. तैयार किया जाना है। जिसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है:-

1. **उदेश्य-** अपार (APAAR) आई.डी. 12 अंकों का कोड है, यह आई.डी. विधार्थी के आधार नंबर से लिंक रहेगा। अपार आई.डी. में विद्यार्थी की उपलब्धियां जैसे- परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, क्रेडिट स्कोर, छात्रवृति, सिखाने के परिणामों के अतिरिक्त विद्यार्थी की अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में सहायक होगी। विद्यार्थी शैक्षणिक प्रगति की ट्रैकिंग करने के अतिरिक्त विद्यार्थी किसी भी स्थान से, किसी भी समय अपने प्रमाणिक शैक्षणिक अभिलेख तक पहुँच सकता है। अपार आई.डी. की सहायता से शैक्षणिक संस्थानों के बीच स्थानांतरण, कौशल विकास, नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते समय सुविधा होगी।

2. **अपार आई.डी. जनरेट करने हेतु कार्यवाही**:-
   - ✓ विद्यार्थी की प्रमाणिक जानकारी जैसे- नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, आधार नंबर
   - ✓ चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री कम्पलीट होना चाहिये और आधार सत्यापित (validated) होना चाहिये
   - ✓ विधार्थी का प्रोफाइल में नाम और आधार कार्ड में नाम एक सामान होना चाहिये
   - ✓ अभिभावक का मोबाइल नंबर (कार्यशील) और कोई एक पहचान पत्र आवश्यक है

   2.1 APAAR आई.डी. जनरेट करने की प्रक्रिया: कार्य के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इसके क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी स्कूलों के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, समय सीमा में सभी विद्यार्थियों की APAAR आई.डी. जनरेट करने हेतु जिले द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही और तैयारी अपेक्षित है:-

   2.1.1 **जिले में दिनांक 20 - 21 नवम्बर अपार दिवस मनाया जावे**, सभी स्थानीय समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपार आई.डी. का प्रचार प्रसार किया जाये। अभियान चलाकर सभी अभिभावकों और स्कूलों में अपार आई.डी. का महत्त्व और उपयोग समझाया जावे। उक्त दिवसों में अधिकतम अपार आई.डी. निर्माण का लक्ष्य रखा जावे।

   2.1.2 विद्यार्थियों के आधार नंबर के लिये एवं आधार कार्ड में सुधार के लिये अधिक से अधिक कैंप का प्रावधान करना।

2.1.3 विकासखंड स्तर पर अपार आई.डी. निर्माण के क्रियानवयन एवं समन्वय हेतु BRC को नोडल नियुक्त करें।

2.1.4 जिले में VC के माध्यम से विकासखंड के नोडल और सभी स्कूलों के प्रभारियों का अपार आई.डी. निर्माण हेतु उन्मुखीकरण करें, साथ ही निरंतर VC आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जावे।

2.1.5 अपार आई.डी. जनरेट करने के लिये स्कूल के एक शिक्षक को प्रभारी नियुक्त किया जावे। स्कूल स्तर पर सभी विद्यार्थियों की अपार आई. डी. बनाने का कार्य प्रभारी शिक्षक द्वारा किया जायेगा।

2.1.6 विकासखंड में अधिक नामांकन और बड़े स्कूलों को पहले चरण में आई.डी. निर्माण के लिये टारगेट किया जावे।

2.1.7 जिले में BRCC एवं जन शिक्षको को प्रति दिवस मॉनिटरिंग हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावे।

2.1.8 प्रतिदिन की प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करने हेतु प्रपत्र तैयार किया जावे।

2.2 <u>स्कूल स्तर पर अपार आई.डी. के लिए किये जाने वाले कार्य</u>:

2.2.1 अतः शिक्षक PTA मीटिंग आयोजित कर के निर्धारित प्रपत्र क्र.-2 में अभिभावक की सहमति प्राप्त करेगें। साथ ही सहमति प्रपत्र में अभिभावक का मोबाइल नंबर (कार्यशील) भी अंकित कर लें और विद्यार्थी के आधार कार्ड की छाया प्रति अवश्य प्राप्त करें। अभिभावक के सहमति प्रपत्र में भरी जानकारी की जाँच कर के स्कूल के प्राचार्य/ प्रधान अध्यापक अथवा प्रभारी द्वारा सत्यापन किया जाये। ध्यान रहे- सहमती प्रपत्र में भरी गई जानकारी को गोपनीय रखा जावे, सभी सहमति प्रपत्रों को सुरक्षित रखा जाना है।

2.2.2 प्रभारी शिक्षक स्कूल यूजर से SDMS पोर्टल में लॉग इन करके, सत्र 2024-25 में स्टूडेंट प्रोफाइल में जा कर "अपार मोडूयल" से सभी विद्यार्थियों की अपार आई.डी. को जनरेट करें। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-2 में प्रक्रिया को बिंदु-वार समझाया गया है। किसी प्रकार की संभावित समस्याओं के निराकरण के लिए विस्तृत निर्देश और ट्रेनिंग के विडियो वेब साईट- **https://apaar.education.gov.in/resource** पर उपलब्ध है और टोल फ्री नंबर 1800 889 3511 पर संपर्क किया जा सकता है।

2.3 <u>विकासखंड स्तर पर अपार आई.डी. के लिए किये जाने वाले कार्य:</u>

2.3.1 अपार आई.डी. के लिये प्राथमिकता पर SDMS पोर्टल में पेंडिंग सभी चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री तत्काल पूर्ण करें।

2.3.2 SDMS पोर्टल पर दर्ज सभी विद्यार्थियों की स्कूल-वार और कक्षा-वार सूची निकाल कर संबंधित जन शिक्षा केंद्र को भेज कर विद्यार्थी के नाम का आधार कार्ड में अंकित नाम से मिलान एवं इसमें आवश्यकतानुसार नाम अपडेट होना चाहिये।

2.3.3 विद्यार्थी के नाम में एक लेटर की त्रुटी सुधार की सुविधा SDMS पोर्टल के स्कूल यूजर पर एक बार सुधार की सुविधा है। किंतु नाम में अधिक त्रुटी होने की स्थिति में निर्धारित फॉर्मेट S-03 की सहायता से जिला अथवा विकासखंड यूजर से सुधारा जा सकता है।

2.3.4 जिला स्तर और विकासखंड स्तर पर फॉर्मेट S-03 के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स की डेमोग्राफिक जानकारी में संशोधन किया जावे।

3. **मॉनिटरिंग-** अपार आई.डी. निर्माण की डेली प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक डैशबोर्ड एवं स्कूल-वार सूची SDMS पोर्टल में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अथवा विकासखंड के यूजर पर उपलब्ध है। अतः जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) और BRC प्रतिदिन शाम को अपार आई.डी. निर्माण के प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग कर तथा प्रोग्रेस बढ़ाने के लिये आवशयक कार्यवाही की जावे।

कृपया उक्तानुसार UDISE+ पोर्टल पर दिनांक 30 नवंबर'2024 **तक शालाओं में** अध्ययनरत विद्यार्थियों की APAAR आई.डी. तैयार करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी को निर्देशित करने का कष्ट करें, साथ ही इस कार्य को साप्ताहिक लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में रखा जाना उचित होगा।

संलग्न - **प्रपत्र क्र. – 1** छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिये अपार आई.डी. का महत्त्व और उपयोग
प्रपत्र क्र. – 2 अभिभावक का सहमति
प्रपत्र क्र. – 3 UDISE+पोर्टल में अपार आई.डी. निर्माण की प्रक्रिया

18/11/24

(हरजिंदर सिंह)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.

पृ. क्र./ राशिके/आई.सी.टी./2024-25/5267 **भोपाल, दिनांक** 18.11.24

प्रतिलिपि:

1. **प्रमुख सचिव**, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. **आयुक्त**, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
3. **आयुक्त**, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
4. **मख्य कार्यपालन अधिकारी**, जिला पंचायत, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
5. **अपर परियोजना संचालक**, राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
6. **सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड**, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
7. **निदेशक**, महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **संयुक्त संचालक**, लोक शिक्षण, समस्त संभाग (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
9. **जिला शिक्षा अधिकारी**, समस्त जिला (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. **जिला परियोजना समन्वयक**, समस्त जिला (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. **सहायक परियोजना समन्वयक (E&R)**, समस्त जिला (म.प्र.) की ओर SDMS पोर्टल पर चाइल्ड-प्रोफाइल संबंधी कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. समस्त प्रोग्रामर/एम.आई.एस. प्रभारी, जिला शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. समस्त विकासखंड स्त्रोत समन्वयक एवं विकासखंड एम.आई.एस. कोऑर्डिनेटर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ, निर्देश की प्रति संकुल प्राचार्य तथा जन शिक्षक को उपलब्ध करावे।

18/11/24

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.

प्रपत्र क्रमांक-1

छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए APAAR आईडी का उपयोग

- ✓ APAAR आईडी अद्वितीय प्रकृति की होगी और एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी के रूप में काम करेगी जो सभी उपयोग के उद्देश्यों के लिए छात्रों को पहचान देगी और छात्रों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल, राज्य आदि में स्थानांतरित करना आसान होगा।
- ✓ यह छात्रों को अपनी आईडी के साथ सशक्त बनाएगा।
- ✓ यह विशिष्ट आईडी आजीवन रहेगी और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचने में भी मदद करेगी।
- ✓ APAAR आईडी छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि पर नज़र रखने के लिए उपयोगी होगी।
- ✓ APAAR आईडी ड्रॉपआउट छात्रों की निगरानी और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए उपयोगी होगी।
- ✓ APAAR आईडी डिजिलॉकर इकोसिस्टम तक पहुंचने का प्रवेश द्वार होगा जो छात्रों की सभी उपलब्धियों जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, सीखने के परिणामों के अलावा छात्रों की अन्य उपलब्धियों खेल, कौशल प्रशिक्षण या कोई भी क्षेत्र चाहे वह ओलंपियाड हो, को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा।
- ✓ छात्र भविष्य में अपनी उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य के लिए क्रेडिट स्कोर का उपयोग कर सकते हैं।
- ✓ APAAR आईडी का उपयोग कई उपयोग के मामलों के लिए भी किया जाएगा, जैसे, NTA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, छात्रवृत्ति वितरण, सरकारी लाभ का हस्तांतरण, पुरस्कार जारी करना, छात्रों, शिक्षकों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए मान्यता आदि।

प्रपत्र क्रमांक-2

APAAR ID बनवाने के लिए विद्यार्थी के पिता/माता/कानूनी अभिभावक की सहमति

DISE कोड: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **स्कूल का नाम:** _____

मैं, **<सहमति प्रदाता का नाम>** _____, **<नाबालिग विद्यार्थी का नाम>** _____ **अपने** पहचान पत्र के रूप में **<आधार/ पैन/ ईपीआईसी/ डीएल/ पीपी>** और पहचान पत्र संख्या _____ **के साथ स्वेच्छा से** निम्नलिखित उद्देश्यों और अभिप्रायों के लिए अपने बच्चे का APAAR ID बनवाने और डिजिलॉकर खाता खुलवाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए UIDAI द्वारा जारी उसके आधार नंबर और जनसांख्यिकीय जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ।

मैं समझता/ती हूँ कि मेरी APAAR ID सीमित उद्देश्यों के लिए उपयोग और साझा की जाएगी जैसा कि शैक्षिक और संबंधित गतिविधियों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त, मैं इस बात से भी अवगत हूँ कि मेरी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (नाम, पता, आयु, जन्मतिथि, लिंग और फोटो) विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं जैसे UDISE+ डेटाबेस, छात्रवृत्ति, रखरखाव अकादमिक अभिलेख, अन्य हितधारकों जैसे शैक्षिक संस्थानों और भर्ती एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

मैं शिक्षा मंत्रालय को उपरोक्त उद्देश्य के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार UIDAI के साथ आधार आधारित प्रमाणीकरण करने हेतु अपने आधार नंबर का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि UIDAI सफल प्रमाणीकरण पर शिक्षा मंत्रालय के साथ मेरे e-KYC विवरण, या "हाँ" में दी गई प्रतिक्रिया को साझा करेगा।

मैं समझता/ती हूँ कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और कानून द्वारा अपेक्षित होने के अतिरिक्त किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं की जाएगी।

मैं समझता/ती हूँ कि मैं किसी भी समय या किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता/ती हूँ और मेरे द्वारा सहमति वापस लेने पर, मेरी पूर्व में साझा जानकारी का प्रसंस्करण बंद हो जाएगा, हालांकि, पहले से संसाधित कोई भी व्यक्तिगत डेटा मेरी इस प्रकार सहमति वापस लेने पर अप्रभावित रहेगा।

भौतिक सहमति की तिथि: <**तारीख**>

भौतिक सहमति का स्थान: **<स्थान>** **(हस्ताक्षर)**

सहमति प्रदाता का कार्यशील मोबाइल नंबर: <**नंबर**> **सहमति प्रदाता का नाम**

.....

मैं, ... विद्यालय प्रमुख या अधिकृत शिक्षक/कर्मचारी के रूप में यह घोषणा करता/ती हूँ कि **<विद्यार्थी का नाम>** के **रक्त संबंधी**/कानूनी अभिभावक जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ने APAAR ID बनाने, डिजिलॉकर खाता खुलवाने और UDISE प्लस में पहचान सत्यापन के लिए आधार प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

दिनांक..... **(हस्ताक्षर)**

स्कूल प्राचार्य/ प्रधान अध्यापक/ प्रभारी

प्रपत्र क्रमांक-3

स्कूलों के लिए कार्यान्वयन बिंदु

1. कक्षा-1 से कक्षा 8 तक प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से अभिभावक-शिक्षक बैठकें अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) आयोजित करें।

2. पीटीएम के लिए, स्कूल प्राधिकृत माता-पिता में से किसी एक को उनके आधार कार्ड या किसी अन्य फोटो पहचान पत्र के साथ आमंत्रित कर सकते हैं। **अभिभावक अपने साथ स्कूल में अध्ययनरत विधार्थी के आधार कार्ड की छाया प्रति** भी ले कर आयें।

3. सहमती के साथ ही **अभिभावक के कार्यशील मोबाइल का नंबर** भी नोट कर लें।

4. प्रत्येक पीटीएम में अपार पर 15-20 मिनट का जागरूकता सत्र आयोजित करें।

5. पीटीएम के दौरान छात्रों और अभिभावकों को अपार पर विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

6. अपार परिचय वीडियो और दस्तावेज़ (एफएक्यू) को पीटीएम के दौरान वितरित या दिखाया जा सकता है ।

7. सुनिश्चित करें कि अपार आईडी निर्माण के लिए माता-पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्र की गई है।

8. पीटीएम के बाद अपार आईडी बनाने के लिए अभिभावकों को रुकने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है।

9. यूडीआईएसई+ पोर्टल के तहत एकत्र किए गए छात्र का नाम, पिता/माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि और अन्य आवश्यक विवरणों को सत्यापित और प्रमाणित करें, और यह सभी छात्र के आधार कार्ड के विवरण से मेल खाना चाहिए।

प्रपत्र क्रमांक-3

छात्र पंजीकरण प्रक्रिया-प्रवाह

UDISE+ पोर्टल के माध्यम से अपार (APAAR) आईडी निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया

- **चरण-1:** अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) का आयोजन करें: स्कूलों को अपार और इसके विशिष्ट उपयोग मामलों को पेश करने और "छात्र अपार आईडी बनाने के लिए एक पीटीएम की व्यवस्था और संचालन करना होगा।
- **चरण-2:** सहमति प्रपत्र वितरित करें: स्कूल अभिभावकों को भौतिक सहमति प्रपत्र उपलब्ध कराते हैं।
- **चरण-3:** माता-पिता की सहमति प्राप्त करें: नाबालिग छात्रों के लिए, माता-पिता को अनुमति प्रपत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा, जबकि स्कूल छात्र और माता-पिता की पहचान की पुष्टि करेगा।
- **चरण-4:** अपार के बारे में जानकारी दें: स्कूलों को छात्रों और उनके माता-पिता को अपार का पूर्ण अवलोकन प्रदान करना होगा।
- **चरण-5:** सहमति प्राप्त करें: स्कूलों को माता-पिता से "भौतिक सहमति प्रपत्र" एकत्रित और संग्रहीत करना होगा। सहमति प्रपत्र प्राप्त करने के बाद अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित की जा सकती है।
- **चरण-6:** अपार मॉड्यूल की पहुँच प्राप्त करें: स्कूल के यूडीआईएसई समन्वयक या कक्षा शिक्षक पीटीएम के बाद यूडीआईएसई + पोर्टल में लॉगिन करें और अपार मॉड्यूल टैब पर जाएँ।
- **चरण -7:** जानकारी की पुष्टि करें: स्कूल प्राधिकृत केवल उन छात्रों के विवरण की पुष्टि करेंगे जिनकी सहमति प्राप्त हो चुकी है (जैसे, नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता-पिता के नाम, आधार संख्या) ताकि यूडीआईएसई अपार मॉड्यूल के माध्यम से अपार आईडी बनाई जा सके।
- **चरण-8:** अपार आईडी उत्पन्न करें: यूडीआईएसई समन्वयक या कक्षा शिक्षक छात्रों के विवरण की सफल पुष्टि के बाद अपार आईडी बनाएंगे। इसके बाद, यह सुरक्षित रूप से छात्र के डिजिलॉकर खाते में भेज दी जाएगी। माता-पिता को उनके आधार से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण एसएमएस भेजा जाएगा।
- **चरण-9:** अपार आईडी साझा करें: सफल अपार आईडी निर्माण के बाद, स्कूल "**अपार आईडी**" को छात्रों और उनके माता- पिता को प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, स्कूल प्राधिकृत अपने स्कूल आईडी कार्ड में भी अपार आईडी संख्या का उल्लेख करते हैं। UDISE+ प्रणाली में अपडेट किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अभिभावकों को एक पुष्टिकरण एसएमएस भेजा जाएगा।
- **चरण-10:** अपार आईडी बनाने में विफलता: यदि छात्रों के विवरण की पुष्टि में असफलता होती है या कोई अन्य त्रुटियाँ होती हैं, तो यूडीआईएसई पोर्टल स्कूल प्राधिकृत को त्रुटि संदेश दिखाएगा। स्कूल माता-पिता को आवश्यक सुधार के लिए कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) पर भेज सकता है। **अपार निर्माण प्रक्रिया से संबंधित किसी भी सहायता के लिए कृपया टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-889-3511 पर संपर्क** करें।

आनंदराव वि. पाटील, भा.प्र.से.
अपर सचिव
Anandrao V. Patil, IAS
Additional Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
Government of India
Ministry of Education
Department of School Education & Literacy

F. No. 1-27/2023-DIGED-Part(1)
Dated the 22nd October, 2024

Dear Sir/Maam,

Subject: APAAR ID Creation for all students in all classes - Primary, Secondary, and Senior Secondary across India - reg.

Kindly refer to Secretary, DoSEL's D.O. letter No. 1-27/2023-DIGED-Part(1) dated 2nd September 2024 regarding the implementation of APAAR ID system.

As highlighted in the D.O. letter, APAAR ID system has been designed as a unique, lifelong 12-digit identifier for all school-enrolled students, aimed at facilitating targeted interventions to improve school enrolments and learning outcomes.

I am happy to see that almost all the States/UTs have initiated the process of APAAR ID Creation; there is a need to accelerate and expand the APAAR ID creation process to achieve our targeted objectives. In this regard, I would like to inform that APAAR ID creation process **has now been opened for all students in all classes - Primary, Secondary, and Senior Secondary– for all schools of all management types**. Hence, APAAR ID can be generated and validated for all enrolled students in all schools across India.

SoP for creation of APAAR ID for all classes remain the same which is through:-

1. Conducting structured Parent Teacher Meetings (PTM's).
2. Ensuring collection and storage of consent forms during PTM's (in person).
3. Training school administrators on the UDISE+ portal.
4. Establishing robust monitoring mechanisms.
5. Ensuring APAAR ID's are printed on the Student ID cards.
6. Common Service Centre (CSC) is requested to help all schools for issues like Name corrections of students, Aadhar corrections of Parents/Students & Printing Identity Card's after APAAR ID validation.

Contd....2/-

(8)

116, 'सी', शास्त्री भवन, नई दिल्ली.110 001
116, 'C', Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Telephone : +91-11-23383226, +91-11-23070584
E-mail : aspmpy-moe@gov.in

In view of above, I request you to instruct all concerned about this national initiative in your State/UT. Your personal intervention in monitoring the progress and ensuring swift implementation of APAAR ID systems is utmost important. May I request you to bestow your personal attention to this national initiative.

Kind Regards.

Yours sincerely,

20/12/24

(Anandrao V. Patil)

To:- Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (School Education), All States and UTs.

Cc: State Project Directors, Samagra Shiksha All States/UTs.

Encl:- Copy of D.O. letter of Secretary, DoSE&L

(9)